



प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER
केंद्रीय माल एवं सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली क्षेत्र, सी. आर. बिल्डिंग
GST & CX, DELHI ZONE, C.R. BUILDING,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
I.P. ESTATE, NEW DELHI - 110002
दिनांक 01.01.2021

आदेश 01/2021

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37ए तथा अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 09.06.2017 और अधिसूचना संख्या 18/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 19.06.2017, के साथ पठित, जैसा कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के सेवा कर के समान मामलों पर लागू किया गया, और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अधोहस्ताक्षरी में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा, निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस (नीचे तालिका के कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित) न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए वर्तमान में प्रधान आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली दक्षिण के पास से आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा-II, दिल्ली को सौंपता हूँ-

क्र. सं.	कारण बताओ नोटिस संख्या	जिससे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उनका नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिनांक	राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	CE-20/ST/D-III/R-III/SCN/Uniworld/25/2012	M/s Uniworld logistics P. Ltd	22.04.2019	80,03,205/-

(आलोक **तिवारी**)

मुख्य आयुक्त सीजीएसटी एवं के.उ. शुल्क, दिल्ली जोन

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली दक्षिण
2. आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखापरीक्षा-II, दिल्ली, कार्यवाही शुरू करने से पहले वह यह सुनिश्चित करें कि कारण बताओ नोटिस सभी पहलुओं में न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त है।
3. गार्ड फाइल
4. सूचना पट्ट

(आलोक **तिवारी**)

मुख्य आयुक्त सीजीएसटी एवं के.उ. शुल्क, दिल्ली जोन